

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) सु०परि०-07-08/2018/राँची, दिनांक :

आदेश

श्री उज्जवल कुमार दास, कनीय अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, ईचा-चालियामा का साईबर क्राईम एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर दिनांक- 04.08.2018 से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के भाग- (IV) निलंबन के नियम-09 (2) (ख) के तहत न्यायिक हिरासत में लिए गये तिथि (दिनांक- 04.08.2018) से निलंबित किया जाता है।

2. उक्त निलंबन अवधि में श्री दास, कनीय अभियंता को सेवा संहिता के नियम-96 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3 उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव -
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स/अधीक्षण अभियंता, खरकई बाँध अंचल, ईचा-चालियामा/कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, ईचा-चालियामा/ श्री उज्जवल कुमार दास, कनीय अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, ईचा-चालियामा (सम्प्रति निलंबित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 4149राँची/दिनांक 28/9/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (अ०मु०स०को० डायरी सं०-2588 दिनांक- 11.09.2018 के क्रम में)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
झारखण्ड, राँची।